

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818]
No. 818]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 4, 2005/श्रावण 13, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2005/SRAVANA 13, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2005

का.आ.1096(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उन सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, जहां तक ये नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के भूखंडों से संबद्ध हैं, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों के निष्पादन के संबंध में कृत्यों का प्रत्येक राजमार्ग के सामने अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्याधीन प्रयोज्य होगा जो संबद्ध राज्य सरकार ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने में उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं० 9 [215.8 कि.मी. से 266.4 कि.मी. तक (नन्दीगामा से विजयवाडा) को छोड़कर] सं. 16 [205.0 कि.मी. से 235.0 कि.मी. तक (चेन्नूर से अर्जुन गुट्टा) को छोड़कर], सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205, सं. 219, सं. 221 और सं. 222 आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18, सं. 214 और सं. 214क	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
2.	अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थिति भाग राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 153	अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [963.000 कि.मी. से 1126 कि.मी.तक (राष्ट्रीय राजमार्ग 31ग/31-नालगाड़ी गुवाहाटी) को छोड़कर], सं. 36 [0.000 कि.मी. से 38.000 कि.मी. तक (डबोका से नागांव सैक्शन) को छोड़कर], सं. 39, सं. 51, सं. 52ख, सं. 61, सं. 153 और सं. 154 असम राज्य के भीतर स्थित भाग	असम राज्य सरकार

	और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31ख, सं. 37 [146.000 कि.मी. से 274.000 कि.मी. तक (गुवाहाटी बाईपास सहित गुवाहाटी से नागांव) को छोड़कर], सं. 37क, सं. 38 और सं. 152 ।	
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19, सं. 28 [365.570 कि.मी. से 520.00 कि.मी. तक (मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी से गोपालगंज-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) को छोड़कर], सं. 31 [410.000 कि.मी. से 447.000 कि.मी. और 470.000 कि.मी. से 476.150 कि.मी. तक (पूर्णिया से गोरकाता) को छोड़कर], सं. 80, सं. 81, सं. 98, सं. 99 बिहार राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28ख, सं. 30, सं. 30क, सं. 77, सं. 82, सं. 83, सं. 84, सं. 85, सं. 101, सं. 102, सं. 103, सं. 104, सं. 105, सं. 106, सं. 107 और सं. 110	बिहार राज्य सरकार
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [308.6 कि.मी. से 323.6 (दुर्ग बाईपास) तक और 239.000 कि.मी. से 282.000 कि.मी. तक (रायपुर-औरंग) को छोड़कर], सं. 12क, सं. 16, सं. 43, सं. 78, सं. 200, सं. 202, सं. 217 और सं. 221 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 111 और 216 ।	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4क, सं. 17 गोवा राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17क और सं. 17ख ।	गोवा राज्य सरकार
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (रा.रा. सं. 6 पर सूरत के निकट जंक्शन से प्रारंभ होकर और हजीरा पर समाप्त होने वाले राजमार्ग सहित), सं. 115 (समाख्याली से राधानपुर खंड को छोड़कर) और सं. 59 तथा सं. 113 गुजरात राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8क [183.500 कि.मी. से 362.160 कि.मी. तक (गांधीधाम से समाख्याली से बामन बोर खंड) को छोड़कर] सं. 8ग, 8घ और सं. 8ड।	गुजरात राज्य सरकार
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10, सं. 21क, सं. 22, सं. 64, सं. 65, सं. 71, सं. 71ख, सं. 72 और सं. 73 हरियाणा राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71क	हरियाणा राज्य सरकार
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, सं. 21, सं. 22 (सीमा संडक विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों को छोड़कर), सं. 21क, सं. 70 और सं. 72 हिमाचल प्रदेश राज्य के भी स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 88	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार

10.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, सं. 23, सं. 31, सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 80, सं. 98, सं. 99 का विस्तार झारखंड राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, सं. 32, सं. 33 और सं. 100 ।	झारखंड राज्य सरकार
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [0.0 कि.मी. से 592.0 कि.मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक /महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर], सं. 4क, सं. 9, सं. 13 [743.900 कि.मी. से 745.000 कि.मी. तक (मारोली जंक्शन से नान्दूर जंक्शन) को छोड़कर], सं. 17 [358.000 कि.मी. से 375.300 कि.मी. (सूरतकाल से नान्दूर) तक को छोड़कर], सं. 63, सं. 67, सं. 207, सं. 209 और सं. 212 कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [328.000 कि.मी. से 345.000 कि.मी. तक (बीसी रोड से पोडिल जंक्शन) को छोड़कर], सं. 206, सं. 218 ।	कर्नाटक राज्य सरकार
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17, सं. 47 [182.040 कि.मी. से 358.750 कि.मी. तक (तमिलनाडु/केरल सीमा से कोचि) को छोड़कर], सं. 49, सं. 208, सं. 212, सं. 220 केरल राज्य के भीतर स्थित भाग और सं. 47क और 213	केरल राज्य सरकार
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [60.000 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक (राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा से ग्वालियर) और 319.700 कि.मी. से 332.100 कि.मी. तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [400.544 कि.मी. से 651.500 कि.मी. तक (लखनादोन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12, सं. 12क, सं. 27, सं. 59, सं. 69 और सं. 75 [0.000 कि.मी. से 90.000 कि.मी. तक (ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा) को छोड़कर] और सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.000 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश से राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78, सं. 79, सं. 86 और सं. 92, मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59 क ।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार
14.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [561.0 कि.मी. से 585.0 कि.मी. से रा.रा. 4 सहित जंक्शन से मुम्बई तक और 380.00 कि.मी. से 265.000 (पिंपलगांव-धुले) तथा	महाराष्ट्र राज्य सरकार

	539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (वाडपे-गोंडे) तक को छोड़कर], सं. 6 (149.80 कि.मी. सं 166.0 कि.मी. तक अमरावती बाईपास को छोड़कर), सं. 9, सं. 13, सं. 17, सं. 69 और सं. 222 महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 [12.190 कि.मी. से 42.000 कि.मी. तक (पुणे-नासिक खंड) को छोड़कर], सं. 204 तथा सं. 211	
15.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39, सं. 53 और सं. 150 मणिपुर राज्य के भीतर स्थित भाग	मणिपुर राज्य सरकार
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44, सं. 51, सं. 62 मेघालय राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 ।	मेघालय राज्य सरकार
17.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54, सं. 44क, सं. 150 और सं. 154 मिजोरम राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54क तथा 54ख ।	मिजोरम राज्य सरकार
18.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 36, सं. 39, सं. 61 और सं. 155 नागालैंड राज्य के भीतर स्थित भाग ।	नागालैंड राज्य सरकार
19.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (200/0 कि.मी. से 280/060 कि.मी. तक बालासोर से उड़ीसा/झारखंड सीमा तक), सं. 6, सं. 23, सं. 43, सं. 75, सं. 200 और सं. 217 उड़ीसा राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42, सं. 201, सं. 203 (भुवनेश्वर-पुरी खंड), सं. 215 और सं. 224 ।	उड़ीसा राज्य सरकार
20.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [212.000 कि.मी. से 387.100 कि.मी. तक (हरियाणा/पंजाब सीमा से झारखंड) को छोड़कर], सं. 10, सं. 15, सं. 20, सं. 21, सं. 22, सं. 64, सं. 70 और सं. 71 पंजाब राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 95	पंजाब राज्य सरकार
21.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किशनगढ़ से अजमेर तक (366 कि.मी. से 396 कि.मी. तक और अजमेर से उदयपुर तक (0 कि.मी. से 263.500 कि.मी. तक)], सं. 11 [63.600 कि.मी. से 228.000 कि.मी. तक (भरतपुर-महुआ-जयपुर) को छोड़कर], सं. 12, सं. 14 [246.800 कि.मी. से 306.000 कि.मी. तक (पिंडवाडा-राजस्थान/गुजरात सीमा खंड) को छोड़कर], सं. 15, सं. 65, सं. 79 (नजीराबाद से चित्तौड़गढ़ खंड को छोड़कर) और सं. 113 राजस्थान राज्य के भीतर	राजस्थान राज्य सरकार

	स्थित भाग तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क, सं. 11ख, सं. 89, सं. 90, सं. 112, सं. 114 और सं. 116 ।	
22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि.मी. से 107.200 कि.मी. तक (चेन्नई से रानीपेट) और रा.रा. 4 के 13.8 कि.मी. से प्रारंभ होने वाले तथा रा.रा. 5 के 12.6 कि.मी. पर मिलने वाले बाईपास (चेन्नई बाईपास फेज-2) को छोड़कर] ,सं. 45क, सं. 47 [0.000 कि.मी. से 182.040 कि.मी. तक (सेलम से तमिलनाडु/केरल सीमा तक) को छोड़कर] ,सं. 49, सं. 66, सं. 205, सं. 207, सं. 208, सं. 209, सं. 219 और सं. 220 तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, सं. 68, सं. 45ख तथा सं. 210 ।	तमिलनाडु राज्य सरकार
23.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 (228 कि.मी. से 524.000 कि.मी. तक को छोड़कर), सं. 72, सं. 72क, सं. 73, सं. 74 और सं. 87 (सिमली से कर्णप्रयाग तक के भूखंड को छोड़कर) और सं. 119 उत्तरांचल राज्य के भीतर स्थित भाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 94 (123 कि.मी. से 218 कि.मी. तक, धारासू से यमनोत्री के निकट कथनौर तक), सं. 121, सं. 123 और सं. 125 (टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के भूखंड को छोड़कर) ।	उत्तरांचल राज्य सरकार
24.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2क, सं. 7, सं. 11, सं. 19, सं. 24 [27.62 कि.मी. से 166.65 कि.मी. तक (गाजियाबाद से मुरादाबाद तक, जिसमें हापुड और मुरादाबाद बाईपास भी सम्मिलित है) तथा 180.325 कि.मी. पर आरओबी को छोड़कर] ,सं. 27 [0.000 कि.मी. (रा.रा. सं. 2 के 211.700 कि.मी.) से 5.410 कि.मी. (रा.रा. सं. 27 के नए रेखांकन) को छोड़कर] , सं. 28ख, सं. 58 [52.250 कि.मी. से 131.000 कि.मी. तक (मेरठ-मुजफ्फरनगर) को छोड़कर] , सं. 72क, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [90.00 कि.मी. से 103.00 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी तक के खंड) को छोड़कर] , राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76, सं. 86, सं. 87 (8 कि.मी. पर छोटे सेतु और 30.050 कि.मी. पर मुख्य सेतु को छोड़कर), सं. 92, सं. 119 उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24क, सं. 29 (गोरखपुर-फर्रुखा-	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

	सोनौली खंड को छोड़कर), सं. 56, सं. 91, सं. 91क, सं. 93, सं. 96 और सं. 97 ।	
25.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [0.0 कि.मी. से 136.000 कि.मी. तक (कोलकाता से खडगपुर) को छोड़कर] , सं. 31 [447 कि.मी. से 470 कि.मी. तक और 476.150 कि.मी. से 634.150 कि.मी. (डलखोला से सिलिगुड़ी से चाल्सा तक) को छोड़कर] , सं. 31ग [105 कि.मी. से 254.500 कि.मी. (चाल्सा से असम/पश्चिमी बंगाल सीमा तक) को छोड़कर] , सं. 32, सं. 60, सं. 80 और सं. 81 पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 35, सं. 55, सं. 60क तथा सं. 117 (21.80 कि.मी. से 137 कि.मी. तक से जोका से बक्खाली तक)।	पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार
26.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के भीतर स्थित भाग	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ राज्य सरकार
27.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [8.200 कि.मी. से 16.200 कि.मी. तक और 16.500 कि.मी. से 29.300 कि.मी. तक दिल्ली (मजनु का टीका के निकट से दिल्ली/हरियाणा सीमा तक) को छोड़कर] , सं. 10 और सं. 24 राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित भाग ।	राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली सरकार
28.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45क और सं. 66 संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी के भीतर स्थित भाग ।	संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी राज्य सरकार

[फा. सं. रा.रा.-14012/9/2005-पी एण्ड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2005

S.O. 1096(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession of all previous notifications in so far as they relate to the stretches of National Highways specified in the Schedule given below, the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column 2 of the Schedule hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column 3 of the Schedule against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force made under the said Act.

SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
1	So much of National Highways No.4, No.9 [excluding from Km.215.8 to Km.266.4 (from Nandigama to Vijyawada)] , No.16 [excluding from Km. 205.0 to Km.235.0 (from Chennur to Arjungutta)], No. 43, No.63, No.202, No.205, No.219, No.221 and No.222 as are situated within the State of Andhra Pradesh and National Highways No.18, No.214 and No.214 A.	State Government of Andhra Pradesh
2	So much of National Highway No.153 as is situated within the State of Arunachal Pradesh.	State Government of Arunachal Pradesh
3	So much of National Highways No.31 [excluding Km. 963.000 to Km. 1126 (Junction of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No.36 [excluding from Km. 0.000 to Km. 38.000 (section from Daboka to Nagaon)] No.39, No.51, No.52B, No.61, No.153 and No.154 as are situated within the State of Assam and National Highways No.31B, No.37 (excluding from Km. 146.000 to Km. 274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwahati Bypass), No.37A, No.38 and No.152.	State Government of Assam
4	So much of National Highways No.19, No.28 [excluding from Km. 365.570 to Km. 520.00 (from Muzzaffarpur-Piprakothe to Gopalganj – Uttar Pradesh/Bihar Border)], No.31 [excluding from Km. 410.000 to Km 447.000 and Km 470.000 to Km. 476.150 (Purnea to Goyerkata)], No.80, No.81, No.98, No.99 as are situated within the State of Bihar and National Highways No.28B, No.30, No.30A, No.77, No.82, No.83, No.84, No.85, No.101, No.102, No.103, No.104, No.105, No.106, No.107 and No.110	State Government of Bihar
5	So much of National Highways No.6 [excluding from Km. 308.6 to Km. 323.6, (Durg Bypass) and from Km. 239.000 to Km. 282.000 (Raipur-Aurang)], No.12A, No.16, No.43, No.78, No.200, No.202, No.217 and No.221 as are situated within the State of Chhattisgarh and National Highway No.111 and 216.	State Government of Chhattisgarh
6	So much of National Highways No.4A, No.17 as are situated within the State of Goa and National Highway No.17A and No.17B.	State Government of Goa
7	So much of National Highways No.6 (Including the Highway starting from its Junction near Surat on NH 6 and terminating at Hajira), No.15 [excluding the Section Samakhali to Radhanpur] and No.59 and No.113 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No.8A [excluding from Km. 183.500 to Km. 362.160 (section from Gandhidham to Samakhali to Bamanbore)], No.8C, No.8D and No.8E .	State Government of Gujarat
8	So much of National Highways No. 10, No.21A, No.22, No.64, No.65, No.71, No.71B, No.72 and No.73 as are situated within the State of Haryana and National Highway No. 71A.	State Government of Haryana
9	So much of National Highways No.20, No.21, No.22 (excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board), No.21A, No.70 and No.72 as are situated within the State of Himachal Pradesh and National Highway No.88.	State Government of Himachal Pradesh
10	So much of National Highways No.2, No.23, No.31, No.75, Extension of No.75, No.78, No.80, No.98, No.99 as are situated within the State of Jharkhand and National Highways No.6, No.32, No.33 and No.100.	State Government of Jharkhand

11	So much of National Highways No.4 [excluding (from Km. 0.0 to Km. 592.0 from Bangalore to Karnataka to/Maharashtra Border)], No.4A, No.9, No.13 [excluding from Km. 743.900 to Km. 745.000 (Maroli Junction to Nantoor Junction)], No.17 [excluding from Km. 358.000 to Km. 375.300 (Suratkal to Nantoor)], No.63, No.67, No.207, No.209 and No.212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No.48 [excluding from Km. 328.000 to Km. 345.000 (B.C Road to Podil junction)], No.206, No.218.	State Government of Karnataka
12	So much of National Highways No.17, No.47 [excluding from Km. 182.040 to Km. 358.750 (from Tamil Nadu / Kerala Border to Kochi)], No.49, No.208, No.212, No.220 as are situated within the State of Kerala and National Highways No.47A and No.213.	State Government of Kerala
13	So much of National Highways No.3 [excluding from Km. 60.000 to Km. 103.000 (Rajasthan/Madhya Pradesh Border to Gwalior) and from Km. 319.700 to Km. 332.100], National Highways No.7 [excluding from Km. 400.544 to Km. 651.500 (Lakhnadon to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], National Highways Nos. 12, 12A, 27, 59, 69 and No.75 [excluding from Km. 0.000 to Km. 90.000 (from Gwalior to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border)] and No.76 [excluding from Km. 0.000 to Km. 30.000 (Madhya Pradesh to Rajasthan Border to Shivpuri)], National Highway Nos. 78, 79, 86 and No.92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway No.59A.	State Government of Madhya Pradesh
14	So much of National Highways No.3 [(excluding from Km. 561.0 to Km. 585.0 from Junction with NH 4 to Mumbai) and from Km. 380.000 to Km. 265.000 (Pimplagaon-Dhule) and Km 539.500 to Km 440.000 (Vadape-Gonde)], No.6 (excluding from Km. 149.80 to Km. 166.0 Amravati bypass), No.9, No.13, No.17, No.69 and No.222 as are situated within the State of Maharashtra and National Highway No.50 [excluding from Km.12.190 to Km.42.000 (Pune-Nasik section)], No.204 and No.211.	State Government of Maharashtra
15	So much of National Highways No.39, No.53 and No.150 as are situated within the State of Manipur.	State Government of Manipur
16	So much of National Highways No.44, No.51, No.62 as are situated within the State of Meghalaya and National Highway No.40	State Government of Meghalaya
17	So much of National Highways No.54, No.44A, No.150 and No.154 as are situated within the State of Mizoram and National Highways No.54A and No.54B.	State Government of Mizoram
18	So much of National Highways No. 36, No.39, No.61 and No.155 as are situated within the State of Nagaland.	State Government of Nagaland
19	So much of National Highways No.5 (from Km. 200/0 to Km. 280/060 from Balasore to Orissa/Jharkhand Border), No.6, No.23, No.43, No.75, No.200 and No.217 as are situated within the State of Orissa and National Highways No.42, No.201, No.203 (Bhubneshwar-Puri Section), No.215 and No.224.	State Government of Orissa
20	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km. 212.000 to Km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar)], No.10, No.15, No.20, No.21, No.22, No.64, No.70 and No.71 as are situated within the State of Punjab and National Highway No.95.	State Government of Punjab

21	So much of National Highways No.8 [Kishangarh to Ajmer (from Km. 366 to Km. 396) and Ajmer to Udaipur (from Km. 0 to Km. 263.500)], No.11 [excluding from Km. 63.000 to Km. 228.000 (Bharatpur-Mahua-Jaipur)], No.12, No.14 [excluding from Km. 246.800 to Km. 306.000 (Pindwara-Rajasthan/Gujarat Border section)], No.15, No.65, No.79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh) and No.113 as are situated within the State of Rajasthan and National Highways No.11A, No.11B, No.89, No.90, No.112, No.114 and No.116.	State Government of Rajasthan
22	So much of National Highway No.4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 107.200 (from Chennai to Ranipet) and the bypass starting from Km.13.8 of NH 4 and joining at Km. 12.6 of NH 5 (Chennai Bypass Phase-II)], No.45A, No.47, [excluding from Km. 0.000 to Km. 182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No.49, No.66, No.205, No.207, No.208, No.209, No.219 and No.220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highway No.67, No.68, No.45B and No.210.	State Government of Tamilnadu
23	So much of National Highways No.58 (excluding from Km. 228 to Km. 524.000), No.72, No.72A, No.73, No.74 and No.87 (excluding the stretch from Simli to Karna Prayag) and No.119 as are situated within the State of Uttaranchal and National Highway No.94 (from Km. 123 to Km. 218 Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri), No.121, No.123 and No.125 (excluding the stretch from Tanakpur to Pithoragarh).	State Government of Uttaranchal
24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11, No.19, No.24 [excluding from km. 27.62 to km. 166.65 (Ghaziabad to Moradabad including Hapur and Moradabad bypasses) and R.O.B. at km. 180.325], No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar)], No.72A, No.73, No.74, No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], National Highways No.76, No.86, No.87 (excluding a Minor bridge at Km. 8 and a Major bridge at km. 30.050), No.92 and No.119 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No.24A, No.29 (excluding Gorakhpur-Pharenda-Sonauli section), No.56, No.91, No.91A, No.93, No.96 and No.97.	State Government of Uttar Pradesh
25	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km.0.0 to Km.136.000 (from Kolkata to Kharagpur)], No.31[(excluding from Km.447 to Km.470 and from Km.476.150 to Km. 634.150 (Dalkhola to Siliguri to Chalsa)], No.31C [(excluding from Km. 105 to Km.254.500 (Chalsa to Assam/West Bengal Border)] No.32, No.60, No.80 and No.81 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No.35, No.55, No.60A and No.117 (Km. 21.80 to Km.137 from Joka to Bakkhali).	State Government of West Bengal
26	So much of National Highway No.21 as is situated within the Union Territory of Chandigarh	Govt of Union Territory of Chandigarh
27	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km. 8.200 to Km. 16.200 and from Km. 16.500 to Km. 29.300 from Delhi (Near Majnu Ka Tila) to Delhi/Haryana border)], No.10 and No.24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi
28	So much of National Highways No.45A and No.66 as is situated within the Union Territory of Pondicherry.	Govt of Union Territory of Pondicherry

[F. No. NH-14012/9/2005-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

2342 61/05-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2005

का.आ.1097(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई कि.मी. में
1क	जालंधर-पठानकोट खंड पठानकोट-जम्मू खंड जम्मू बाइपास नगरोटा (14.4 कि.मी. लंबाई) और उधमपुर बाइपास)18.7 कि.मी.) सहित जम्मू-श्रीनगर खंड श्रीनगर बाइपास	110.0 कि.मी. (चक्की सेतु के पार) 117.1 कि.मी. तक 3.6 कि.मी. से 97.3 कि.मी. तक 3.6 कि.मी. से 97.3 कि.मी. तक 0.0 कि.मी. से 20.4/9.2 कि.मी. तक 9.2 कि.मी. से 286.00 कि.मी. तक 286.00 कि.मी. से 303.80 कि.मी. तक
3	पिम्पल गांव-धुले	380.000 कि.मी. से 265.00 कि.मी. तक
3	वाडपे-गोंडे	539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. तक
4	चेन्नै-रानीपेट चेन्नै-बाइपास	0.0 कि.मी. से 107.200 कि.मी. तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के 13.8 कि.मी. से प्रारंभ होकर और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के 12.6 कि.मी. पर मिलने तक
6	रायपुर-औरंग	239.000 कि.मी. से 282.000 कि.मी. तक
11	भरतपुर-महुआ-जयपुर	63.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी. तक
34	कोलकाता-डलखोला	14.40 कि.मी. से 452.70 कि.मी. तक
58	मेरठ-मुजफ्फरनगर	52.250 कि.मी. से 131.000 कि.मी. तक

[फा. सं. रा.रा.-14012/9/2005-पी एण्ड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2005

S.O. 1097(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (3) of the Table below (hereinafter referred to as the said Table), of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number.	Section	Stretches in Kilometer
(1)	(2)	(3)
1A	Jalandhar-Pathankot Section	Km 110.0 (beyond Chakki Bridge) to Km 117.1
	Pathankot-Jammu Section	Km 3.6 to Km 97.3
	Jammu Bypass	Km 0.0 to Km 20.4/9.2
	Jammu Srinagar Section including Nagrota (length 14.4 Km) and Udhampur Bypass (length 18.7 Km)	Km 9.2 to km 286.00
	Srinagar Bypass	Km 286.00 to Km 303.80
3	Pimpalgaon-Dhule	Km. 380.000 to Km.265.000
3	Vadape-Gonde	Km.539.500 to Km. 440.000
4	Chennai-Ranipet	Km.0.0 to Km.107.200
	Chennai Bypass	Starting from Km.13.8 of NH 4 And joining at Km.12.6 of NH 5
6	Raipur-Aurang	Km.239.000 to Km.282.000
11	Bharatpur-Mahua-Jaipur	Km.63.000 to Km.228.000
34	Kolkata to Dalkhola	Km.14.40 to Km.452.70
58	Meerut-Muraffarnagar	Km.52.250 to Km.131.000

[F. No. NH-14012/9/2005-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.